पूर्व मध्य रेल
EAST CENTRAL RAILWAY

कार्यालय
महाप्रबंधक(का)
हाजीपुर

PCPO's Sl. Cir. No.107/2023

RBE No. 112/2023

No.ECR-HQ0PERS (RULE)/9/2023 Com.No.207408)

1. CAO (Con.)/उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD/पूमरे/हाजीपुर।
3. DRM/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पूमरे/हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/पीडी/डीडीयू, यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर एवं हरनौत।
7. Sr.DPO/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
9. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पूमरे/हाजीपुर।

विषयः-Clarification on "Regular Employees" for appearing GDCE – prescribing minimum service condition for serving Railway employee.

संदर्भः-Railway Board's letter No.-E(NG)I/2023/PM1/15, Dated-06.10.2023.

******

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information, guidance and needful onward action please.

DA: As above.

Digitally Signed by Manoj Ku Choudhary
Date: 16-10-2023 11:46:56
Reason: Approved

(मनोज कुमार चौधरी)
सकाधि/ई.एस.-4
कृते महाप्रबंधक (का0)/हाजीपुर

प्रतिलिपि/– निम्नलिखित को सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. महासचिव/ईसीआरकेयू/पूमरे/हाजीपुर।
2. महासचिव/एस.सी.एवं एस.टी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।
3. सकाधि(एम.पी.पी.)/पूमरे/हाजीपुर–कृपया इसे वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. महासचिव/ओ.बी.सी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर

Uploaded

RBE No.112/2023

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I/2023/PM1/15 New Delhi, dated 06.10.2023

The General Manager (P),
All Zonal Railways & PUs.

Sub: Clarification on "Regular Employees' for appearing GDCE—prescribing minimum service conditions for serving Railway employee.

Ref: i) East Coast Railway's letter No. ECoR-HQ/PER dated 20.09.2023.
ii) East Coast Railway's letter No. ECor-HQ/PERS (R) /16/2021(28/20230 dated 03.10.2023.
iii)Railway Board's letter No. E(NG)I/92/PM2/16 dated 20.08.93(RBE No. 129/93).

*****

Attention is invited to Board's letter No. Railway Board's letter No. E(NG)I/PM1/12 dated 20.06.2023(RBE No. 80/2023) wherein instructions were issued for conducting General Departmental Competitive Examination(GDCE) for filling up of 25% of the Direct Recruitment Quota Vacancies.

One of the Zonal Railways has raised a doubt as to whether 02 years' minimum service condition is required for serving Railway employees for appearing in GDCE Examination. It has also been observed that different Railways are following different minimum service condition in this round of GDCE.

The issue of prescribing any minimum residency period to become eligible for future GDCEs is still under deliberation in this office. However, on the basis of precedence and practice followed all along by most Railways in terms of the instructions of RBE 129/93, it is clarified that while reiterating that regular employees are eligible, no minimum service condition has now been prescribed for appearing in this round of GDCE examination. Zonal Railways who have already advertised the 02 years service to be eligible for GDCE, are also advised to issue corrigendums to remove the 2 year restriction and re-invite applications giving a reasonable time to the employees who may have been excluded earlier on this account to apply and then scrutinize the same and finalize their list of eligibles.

Zonal Railways may please ensure that this fresh process should be completed in a time-bound manner of not later than one month.

This disposes off East Coast Railway's letter No. ECoR-HQ/PER dated 20.09.2023.

Hindi Version will follow.

Please acknowledge receipt.

Sanjay 06/10/23

(Sanjay Kumar)
Deputy Director Estt.(N)
Railway Board
E-mail: sanjay.kumar6@gov.in
Ph. No. 43658/01123303658

No. E(NG)I/2023/PM1/15

New Delhi, dated 06.10.2023

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, AIRF, Room No.253, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
2. The General Secretary, NFIR, Room No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
3. All Members/Departmental Council & National Council & Secretary/Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).
4. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).
5. The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).
6. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow.
12. General Secretary, All India SC&ST Railway Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.

for PED(IR)/Railway Board

Advisor/MR, PSs/MoSR(D), MOSR (J), EDPG/MR, OSD/MR, OSD/Coord/MR
PPSs to Chairman & CEO, M(F), M(Infra), M(T&RS), M(O&BD), Secretary, DG/RHS and DG/RPF.

PPSs to AM(Comml.), AM(CE), AM(C&IS), AM(Elec.), AM(Budget), AM(F), AM(Mech.), AM(Plg.), AM(Project), AM(PU), AM(Sig.), AM(Stores), AM(Tele), AM(Traffic), AM(Works), AM(T&C), AM(Staff), AM(HR), PED(Vig.) and PED(Infra.).

PSs to ED/Safety(M), EDCE(G), ED(E&R), EDE, EDE(N), EDME(W), EDERS(G), EDE(Res.), EDE(RRB), EDF(B), ED(RE), ED/Track(M), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDE(GC), ED(Stat), ED(Track/MC), EDME(Chg.), EDME(Traction), ED(Works), EDME(Dev.), EDRS(C), EDRS(W), EDPC, EDF(E), EDA, EDV(A), JS(G) and IG/RPF.

DPC-II, DE(G), D(IH), D(H&FW), D(MPP), DE(N)II, DE(R), DE(D&A), DE(LL), JD(OL), JDE(Rep), JDE(RRB), DD(Code Revision), DDE(LR)I, DDE(LR)II, DDE(LR)III, DDV(A&P), DD(OL)I, E(NG)II, E(Rep)I, E(Rep)II, E(Rep)III, E(SCT)I, E(SCT) II, E(RRB), PC-III, PC-IV, PC-V, E(P&A)I, E(P&A)II, CE-I, CE-II, CE-III, Sec.(E), Sec.(ABE), E(MPP), Safety Branch, A/C-III and Code Revision Cell.

****

आरबीई सं. 112/2023

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)I/2023/पीएम1/15 नई दिल्ली, दिनांक 06.10.2023

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

विषय: सेवारत रेल कर्मचारियों के लिए निर्धारित न्यूनतम सेवा शर्तें निर्धारित करते हुए सामान्य विभागीय प्रतिस्पर्धा परीक्षा (जीडीसीई) में भाग लेने के लिए "नियमित कर्मचारियों" संबंधी स्पष्टीकरण।

संदर्भ: i) पूर्व तट रेलवे का दिनांक 20.09.2023 का पत्र सं.ईसीओआर-एचक्यू/पीईआर।
ii) पूर्व तट रेलवे का दिनांक 03.10.2023 (28/2030) का पत्र सं.ईसीओआर-एचक्यू/पीईआरएस (आर)/16/2021
iii) रेलवे बोर्ड का दिनांक 20.08.1993 (आरबीई सं. 129/93) का पत्र सं.ई(एनजी)I/92/पीएम2/16.

*****

आपका ध्यान रेलवे बोर्ड के दिनांक 20.06.2023 (आरबीई सं. 80/2023) के पत्र सं.ई(एनजी)I/पीएम1/12 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें 25% सीधी भर्ती कोटा रिक्तियों में भर्ती के लिए सामान्य विभागीय प्रतिस्पर्धा परीक्षा (जीडीसीई) आयोजित करने के लिए अनुदेश जारी किए गए थे।

एक क्षेत्रीय रेलवे द्वारा शंका व्यक्त की गई है कि क्या सेवारत रेल कर्मचारियों की सामान्य विभागीय प्रतिस्पर्धा परीक्षा में भाग लेने के लिए 2 वर्ष की न्यूनतम सेवा शर्त अपेक्षित है। यह भी देखा गया है कि विभिन्न रेलों द्वारा सामान्य विभागीय प्रतिस्पर्धा परीक्षा के इस राउंड में विभिन्न न्यूनतम सेवा शर्तों का पालन किया जा रहा है।

भावी सामान्य विभागीय प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में पात्रता हेतु किसी भी न्यूनतम रेसिडेंसी अवधि निर्धारित करने के मामले पर इस कार्यालय में अभी भी विचार किया जा रहा है। बहरहाल, आरबीई 129/93 के अनुदेशों के अनुसार अधिकांश रेलों द्वारा अपनाई गई अधिमानता और पद्धति के आधार पर दोहराते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि नियमित कर्मचारी पात्र हैं, परन्तु सामान्य विभागीय प्रतिस्पर्धा परीक्षा के इस राउंड में भाग लेने के लिए कोई न्यूनतम सेवा शर्त निर्धारित नहीं की गई है। उन क्षेत्रीय रेलों, जिन्होंने सामान्य विभागीय प्रतिस्पर्धा परीक्षा की पात्रता हेतु 2 वर्ष की सेवा संबंधी विज्ञापन पहले ही जारी कर दिया है, को भी सूचित किया जाता है कि 2 वर्ष की सेवा संबंधी प्रतिबंध हटाने के लिए शुद्धिपत्र जारी करें और उन कर्मचारियों, जिन्हें पहले इस कारण से आवेदन करने से

वंचित कर दिया गया था, को उचित समय देते हुए पुन: आवेदन करने के लिए कहा जाए तथा फिर इनकी जांच की जाए और पात्र उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया जाए।

क्षेत्रीय रेलें कृपया सुनिश्चित करें कि इस प्रक्रिया को नए सिरे से समयबद्ध तरीके से एक माह के भीतर पूरा करें।

इससे पूर्व तट रेलवे के दिनांक 20.09.2023 के पत्र सं. ईसीओआर-एचक्यू/पीईआर का निपटान हो जाता है।

कृपया पावती दें।

06/10/23

(संजय कुमार)
उपनिदेशक स्थापना (अराज.)
रेलवे बोर्ड
ईमेल: sanjay.kumar6@gov.in
फोन नंबर : 43658/011-23303658

सं. ई(एनजी)I/2023/पीएम1/15 **नई दिल्ली, दिनांक 06.10.2023**

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल ली (35 अतिरिक त प्रतियों सहित).
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, 256-ई, रेल भवन, नई दिल ली (35 अतिरिक त प्रतियों सहित).
3. राष ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड,
   नई दिल ली (60 अतिरिक त प्रतियों सहित)
4. सेक्रेटरी जनरल, एफआरओए, 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
5. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरपीएफए, कमरा नं.256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली-110001
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली.
8. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली.
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस ट्रीयल स टॉफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली.
10. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इम प लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली.
11. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं.341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली.
12. मुख्य रेल संरक्षा आयुक त/ लखनऊ
13. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल ली।

नवीन 06.10.23

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औ.स.)/ रेलवे बोर्ड